न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 56/2007/223 आर टी ए

श्रीमति बनारसी देवी पत्नि जयमल राम जाति नाई निवासी 2के मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलांटा

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी चक 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. लिछमण राम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी चक 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी चक 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. रामकुमार पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी चक 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. हरकौरी पुत्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी चक 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सरबती बेवा मामराज जाति कुम्हार निवासी ठाकूरवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. देवीलाल पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी ठाकूरवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. लालचन्द पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी ठाकूरवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. सजना पुत्री मामराज जाति कुम्हार निवासी ठाकूरवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. गोमती पुत्री मामराज जाति कुम्हार निवासी ठाकूरवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. दुर्गा पुत्री मामराज जाति कुम्हार निवासी ठाकूरवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–––रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2007 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0सं0 78/2006 अनवानी रामेश्वर बनाम लिछमण आदि

उपस्थित :–

श्री इन्द्राज गोदाराम अधिवक्ता अपीलांट

श्री संजय चाडंक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री अशोक चिराणियां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2ता4

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12

निर्णय दिनांकः–29.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 आरटीए के तहत पेश कर चक

16 एसपीडी के खाता सं. 29 के प.न. 65/373 कि.न. 21 ता 25 की कुल 1.140 है0 कमाण्ड व प.न. 65/374 कि.न. 1 ता 5 की कुल 1.265 है0 कमाण्ड दोनो पत्थरो की 2.405 है जो कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी, के संबंध मे घोषणा व खाता तकसीम के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत आधारहीन, विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। विवादित भूमि अपीलांटा की रेस्पो0 सं. 6 ता 11 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20.06.06 द्वारा खरीदशुदा है भूमि है व खरीद के रोज से ही अपीलांटा का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा मे अपीलांटा भी आवश्यक पक्षकार थी और उक्त बैयनामा का वादी को शुरू से ही ज्ञान था परन्तु दावा हाजा मे अपीलांटा को पक्षकार न बनाकर रेस्पो0 सं. 6 ता 11 को पक्षकार बनाकर दावा प्रस्तुत किया तथा दावा मे अपीलांटा को कोई नोटिस या सूचना नही दी गई और ना ही रेस्पो0 सं0 6 ता 11 को कोई सही पते पर नोटिस दिये गये। विवादित भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमे रेस्पो0 सं. 6 ता 11 का 1/6 हिस्सा के रिकार्डेड कोटीनेन्ट है तथा मुताबिक हक हिस्सा कब्जा काश्त भी रेस्पो0 सं. 6 ता 11 का था। रेस्पो0 सं. 6 ता 11 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20.06.06 को अपीलांटा को बैय कर दी तथा मौका पर कब्जा सम्भला दिया तभी से लगातार कब्जा काश्त मुझ अपीलांटा का है। जिसका अंकन भी अपीलांटा के नाम हो चुका है। परन्तु रेस्पो0 सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दावा प्रस्तुत कर व स्थगन आदेश प्राप्त करने पर अंकन की आगामी कार्यवाही नही हो सकी। दावा प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 13.07.06 को पंचायत मे राजीनामा हो गया। मुताबिक राजीनामा रेस्पो0 सं. 6 ता 11 को चक 116 एसपीडी ए के प.न. 65/374 के बजाय प.न. 65/373 कि.न. 24 मे 11 बिस्वा व 25 कुल 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई तथा उसी रोज रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत दावा को खारिज करवाने हेतु एक हल्फनामा भी लिख कर दिया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री कर विवादित भूमि रेस्पो0 सं. 6 ता 11 का हक खत्म कर अहम भूल की है। अपीलांटा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा मे पक्षकार नही थी इसलिए अपीलांटा यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 96 सीपीसी स्वीकार अपील प्रस्तुत करने स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील पेश करने मे हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अधिवक्ता अपीलांटा अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1989 पेज 724, आरआरडी 1991 पेज 249 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांटा द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे प्रतिवादी की साक्ष्य को बन्द करने का आदेश पारित कर दिया था जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं0 2 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की गई जो अभी विचाराधीन है। अपीलांटा द्वारा उक्त अहम तथ्य को छिपाया गया है एवं गलत रूप से जैरकार प्रकरण को निर्णित कराने हेतु प्रसासरत है। वादग्रस्त भूमि मे अपीलांटा का कोई हक हिस्सा नही है। चूंकि रेस्पो0 सं. 6 ता 11 को अन्य चक मे भूमि मे दे दी गई थी और उक्त वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 5 के हक व हिस्सा मे आई है जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरएलडब्ल्यू 1968 पेज 373 से 375 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांटा खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा, खाता तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। जो अपीलाधीन निर्णय के जरिये रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की गई है। जिस पर पूर्व मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करते हुए दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जा चुके है। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं. 1 ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की गई जो दिनांक 06.04.17 को खारिज की जा चुकी है। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा रेस्पो0 सं. 6 ता 11 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि की घोषणा अपने नाम करवाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है जबकि रेस्पो0 सं0. 6 ता 11 द्वारा अपने दर्ज वादग्रस्त भूमि यानि

1/6 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20.06.06 को अपीलांटा को बैय कर दी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 के नाम करते हुए उक्त भूमि मे से रेस्पो0 सं. 6 ता 11 का नाम कलमजन किये जाने आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त भूमि अपीलांटा की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा भूमि है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा मे आवश्यक पक्षकार थी एवं अहम जवाबदेही रखती है। उपरोक्त परिस्थितियों मे प्रभावित पक्षकार को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2007 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण अपीलांटा को पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ